रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267434
CG-DL-E-07112025-267434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947
No. 728]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 814(अ).— पेटेंट नियम, 2003 में आगे और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इनसे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसामान्य को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली- 110011 को या ipr-patents@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेज दिए जाएं;

निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. पेटेंट नियम 2003 (इसके बाद इसे मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2(गक) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"- 2(गख). "आचार संहिता" का आशय उस आचार संहिता से है, जिसे नियंत्रक द्वारा पेटेंट नियम 2003 की छठी अनुसूची में समय-समय पर प्रकाशित किया जा सकता है।

-2(गग). "अनुशासन समिति" का आशय नियम 119घ के अनुसार गठित समिति से है।"

2. मूल नियम में, नियम 2(घ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"2(घक). नियम 119ग के प्रयोजनों के लिए "अधिकारी" का आशय उस अधिकारी से है, जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 73(3) के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।"

3. मूल नियम में, नियम 119 के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"119क.- पेटेंट एजेंट द्वारा कदाचार: (1) नियंत्रक और/या पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 73 के प्रावधान के अनुसार नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और कार्य करने वाला प्रत्येक पेटेंट एजेंट आचार संहिता का पालन करेगा।

(2) नियंत्रक आचार संहिता से संबंधित अद्यतन जानकारियां आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित करेगा।

(3) यदि पेटेंट एजेंट छठी अनुसूची में यथा उल्लिखित निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो वह कदाचार का दोषी माना जाएगा।"

4. मूल नियम में, नियम 119ख के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"119ख. नियंत्रक को कदाचार की शिकायत: (1) कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उक्त नियम की छठी अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित ऐसे कदाचार की जानकारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियंत्रक को प्रपत्र-34 में शिकायत दर्ज करा सकता है।

5. मूल नियम में, नियम 119ख के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"119ग. नियम 119ख के अंतर्गत प्राप्त शिकायत से निपटने की प्रक्रिया: (1) नियम 119ख के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर, नियंत्रक, मामले पर विचार करने के लिए शिकायत को अनुशासन समिति को भेजेगा। अनुशासन समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, यदि नियंत्रक की राय है कि जांच होनी चाहिए, तो वह शिकायत के साथ एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें ऐसे एजेंट को नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर समर्थक साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

बशर्ते कि यदि अनुशासन समिति को शिकायत में कोई मेरिट नहीं मिलती है तो वह नियंत्रक को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा शिकायत को खारिज करने की अनुशंसा करेगी।

(2). ऐसे एजेंट से उत्तर प्राप्त होने पर, नियंत्रक, मामले में निर्णय हेतु इस उत्तर को अनुशासन समिति को भेजेगा। यदि धारा 119ग(1) के तहत दिए गए निर्देशानुसार उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो नियंत्रक, अनुशासन समिति को रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए मामले में एकपक्षीय निर्णय करने का निर्देश देगा। अनुशासन समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, नियंत्रक लिखित रूप में यथोचित आदेश पारित करेगा।

(3). नियंत्रक, स्वप्रेरणा से, अनुशासन समिति को किसी भी पेटेंट एजेंट के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश दे सकता है, यदि पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर, उसकी राय में ऐसी जांच आवश्यक है।

(4). अनुशासन समिति अपनी कार्यवाही, पीठासीन अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर, भौतिक, वर्चुअल या हाइब्रिड मोड में कर सकती है।

(5). अनुशासन समिति, पीठासीन अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर, पक्षकारों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

(6). यदि ऐसा पेटेंट एजेंट भरोसेमंद और सत्यापन योग्य साक्ष्य के साथ यह निवेदन करता है कि उसने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है, या अपने कार्यों में उचित सावधानी बरती है, तो यह माना जा सकता है कि वह व्यावसायिक कदाचार का दोषी नहीं है।

(7). यदि पेटेंट एजेंट या शिकायतकर्ता सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो समिति ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है।

(8). अनुशासन समिति, किसी भी स्तर पर, उचित और पर्याप्त कारण दर्ज करने के आधार पर, नियंत्रक को, अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने या बंद करने के संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु अनुशंसा कर सकती है।

(9). अनुशासन समिति मामले में न्यायनिर्णयन के लिए अनुशासन समिति द्वारा जांच शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगी।

6. मूल नियम में, नियम 119ग के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"119घ. अनुशासन समिति का गठन: (1) नियंत्रक, नियम 119ग के प्रयोजन से एक अनुशासन समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क.

क. पीठासीन अधिकारी, जो संयुक्त नियंत्रक के पद से नीचे का न हो।

ख. दो वरिष्ठ अधिकारी, जो उप नियंत्रक के पद से नीचे के न हों।

ग. पेटेंट कार्यालय में कार्यरत दो एजेंट, जिनके पास पेटेंट कार्यालय में कम से कम बीस वर्ष का सक्रिय कार्य अनुभव हो।

बशर्ते कि अनुशासन समिति के किसी भी सदस्य का विषय-वस्तु और कार्यवाही के किसी भी पक्षकार के साथ हितों का कोई टकराव नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि, नियंत्रक आवश्यकतानुसार एक या अधिक अनुशासन समितियां गठित कर सकता है।

7. मूल नियम में, नियम 119घ के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"119ङ. 119घ के अंतर्गत गठित अनुशासन समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारीगण: (1) नियंत्रक ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जो आचार संहिता के प्रशासन के प्रयोजनार्थ अनुशासन समिति की सहायता के लिए आवश्यक हों।"

8. मूल नियम में, नियम 119ङ के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"119च. आदेश और शास्ति.– (1). नियंत्रक, अनुशासन समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद, अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (1) के उप-खंड (ii) के तहत पेटेंट एजेंटों के रजिस्टर से ऐसे पेटेंट एजेंट को चेतावनी/निंदा या हटाने सहित आवश्यक आदेश या निर्देश पारित कर सकता है।

(2). इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आदेश दिनांकित, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, सभी पक्षकारों को संप्रेषित और भारतीय बौद्धिक संपदा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा।

9. मूल नियम में, नियम 119च के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"119छ. कार्यवाही की गोपनीयता.- नियंत्रक और अनुशासन समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष की गई कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और अभिलेख सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।"

10. मूल नियम में, नियम 119छ के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"119ज. नियम 119ख, 119ग, 119च, 119झ के अंतर्गत पत्रादि. - नियम 119ख, 119ग, 119च और 119झ के अंतर्गत सभी पत्रादि केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। ऐसे प्रेषण को साबित करने के लिए, यह दर्शाना पर्याप्त होगा कि पत्रादि उचित रूप से संबोधित किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया गया था।

11. मूल नियम में, नियम 119एच के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

119झ. अनुशासनात्मक कार्यवाही में समय का विस्तार: नियंत्रक या अनुशासन समिति, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, जहां कार्रवाई में विलंब या विफलता का उचित कारण मौजूद हो, नियम 138 के तहत याचिका दायर करने और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, किसी भी अवधि को एक महीने तक बढ़ा सकती है।

12. मूल नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र शीर्षक के अंतर्गत "प्रपत्र संख्या 34" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"–34	धारा 130(1) (ii), नियम 119ख	नियम 119ख के तहत पेटेंट एजेंट द्वारा कदाचार की शिकायत

13. मूल नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र 33 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात:

"प्रपत्र 34

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

तथा

पेटेंट नियम, 2003

नियम 119ख के अंतर्गत पेटेंट एजेंट द्वारा कदाचार की शिकायत

[धारा 130(1)(ii); नियम 119बी देखें]

1. शिकायतकर्ता का विवरण (अनिवार्य): - क. नाम: ख. सर्विस के लिए पता: ग. संपर्क नंबर: घ. ईमेल (सर्विस के लिए):	
2. शिकायत का विवरण: -	
क. पेटेंट एजेंट द्वारा कथित कदाचार की तिथि, समय और घटना तथा इसकी जानकारी:	
ख. पेटेंट एजेंट द्वारा कदाचार की शिकायत, जिसमें सभी प्रासंगिक सामग्री विवरण शामिल हों:	
ग. शिकायत के विवरण के समर्थन में साक्ष्य:	
मैं/हम…………., शिकायतकर्ता यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।	
शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर.............
उस वास्तविक व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं:	(……………….)
	सेवा में, नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय ....
नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।	

14. पेटेंट नियम 2003 (इसके बाद इसे मूल नियम कहा गया है) में, पांचवीं अनुसूची के बाद निम्नलिखित छठी अनुसूची को अंतर्विष्ट किया जाएगा: -

"-छठी अनुसूची

[नियम 119क (3) देखें]

पेटेंट एजेंटों के लिए आचार संहिता, 2025

पेटेंट एजेंटों को निम्नानुसार निर्धारित आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया जाता है:

1. पेटेंट एजेंटों के लिए आचार संहिता:

प्रत्येक पेटेंट एजेंट पेशेवर आचरण के स्थापित मानकों का पालन करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पेटेंट आवेदक के हित में करेगा। ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में निम्नलिखित शामिल है:

(क) प्रत्येक ग्राहक के लिए एक अनुबंध पत्र जारी करेगा, जिसमें सेवा के दायरे का उल्लेख होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक पेटेंट एजेंट के कार्यक्षेत्र को समझते हैं;

(ख) उचित सावधानी के साथ और ध्यानपूर्वक कार्य करेगा और ग्राहकों के साथ हर समय अत्यंत सद्भावना और ईमानदारी के साथ व्यवहार करेगा;

(ग) प्रदान की गई पेटेंट एजेंट सेवाओं से संबंधित ज्ञान और कौशल का स्तर बनाए रखेगा।

(घ) हर समय सभी लागू नियमों, कानूनों, विनियमों, आदेशों और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ङ) कोई भी एजेंट किसी भी अनैतिक कार्य में संलग्न नहीं होगा, न ही कोई गलतबयानी या कोई झूठा, भ्रामक, अस्पष्ट, गलत या कपटपूर्ण दावा, वारंटी या कथन करेगा, न करने की अनुमति देगा या न ही करने का कारण बनेगा।

(च) कार्यवाही के दौरान हर समय शालीन रूप से उपस्थित होगा।

क. पेटेंट एजेंट: -

क. प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा और अपने कर्मचारियों, कानूनी सहायकों, जिनमें क्लर्क और पैरा-लीगल शामिल हैं, पर सीधा पर्यवेक्षण बनाए रखेगा, जिन्हें वह कुछ कार्य सौंप सकता है।

ख. आवश्यक विशेषज्ञता का प्रयोग करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी लगन, कुशलता और सावधानी से करेगा तथा अपने पक्षकार के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

ग. पक्षकार के मामलों से संबंधित समय-सीमाओं का रिकार्ड रखने, पक्षकार के साथ पत्राचार का लिखित रिकॉर्ड रखने, पक्षकार द्वारा उसे सौंपे गए मामलों की प्रगति पर नज़र रखने और पक्षकार के मामलों की प्रगति की समय पर रिपोर्ट देने के लिए उचित प्रयास करेगा;

घ. पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी सभी रिपोर्टों/नोटिसों या पत्रों/पत्राचार की प्रतियां अपने पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा और पक्षकार को उन्हें समझने और समय पर उसका उत्तर देने में सहायता करेगा;

ङ. पक्षकार की गोपनीयता बनाए रखेगा, और पक्षकार की लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार की कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं देगा और गोपनीय दस्तावेज़ की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएगा, सिवाय जहां न्यायालय द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो या उस जानकारी के सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हो जाने के बाद ऐसा करेगा;

च. केवल अपने पक्षकार के निर्देशों पर कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों के बिना या उनसे आगे बढ़कर कोई कार्य नहीं करेगा; सद्भावनापूर्वक और पक्षकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु उसके हित में की गई कार्रवाइयों को इससे छूट दी जाएगी;

छ. हितों के किसी भी टकराव के मामले में किसी भी व्यावसायिक सेवा/गतिविधि के आरंभ होने पर या उससे पहले या यथासंभव शीघ्र उसका खुलासा करेगा और भविष्य में उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव से निपटने का प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखेगा। कोई भी व्यक्तिगत हित जो पक्षकार के मामले को प्रभावित कर सकता है, उसे पक्षकार के समक्ष पूरी तरह से विस्तार से प्रकट करेगा।

ज. अपने पक्षकार को सख्त या अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने या ऐसा कुछ भी करने से बचने और रोकने के लिए पूर्ण प्रयास करेगा, जो कि पेटेंट एजेंट को स्वयं भी नहीं करना चाहिए।

ख. कोई भी एजेंट:-

क. स्वामी, नियंत्रक और अन्य पेटेंट अधिकारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा।

ख. अपने आप को ऐसे किसी भी ऐसे आचरण में शामिल नहीं करेगा जिसे करने से या जिसके न करने से, जानबूझकर पेटेंट संबंधी कानूनों या लागू प्रशासनिक आदेशों के उचित कार्यान्वियन में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता हो।

ग. ऐसे तथ्यों को पेटेंट कार्यालय से जानबूझकर नहीं छिपाएगा, जिससे स्वयं या उनके पक्षकार को अनुचित लाभ हो;

घ. किसी भी पेटेंट आवेदन में आवेदकों की पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत या उनमें बदलाव नहीं करेगा, न ही गलत तरीके से स्वयं को आवेदक के रूप में पेश करेगा।

ङ. झूठे या गलत इरादे से, स्वयं को या अपने कार्यालय के सदस्य को, या अपने रिश्तेदारों को या अपने कार्यालय के सदस्यों के रिश्तेदारों को किसी भी पेटेंट आवेदन या विरोध के संबंध में आवेदक या शोधकर्ता या विरोधी के रूप में विचारार्थ पेश नहीं करेगा और न ही ऐसे कार्यों का कारण बनेगा;

च. पक्षकार से स्पष्ट निदेश प्राप्त होने के बावजूद वैधानिक समय-सीमा का पालन करने में विफल नहीं होगा और न ही इसकी उपेक्षा करेगा।

छ. पेटेंट आवेदन के अभियोजन के किसी भी चरण में पक्षकार या पेटेंट कार्यालय को नकली या फेब्रिकेटेड दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करेगा;

ज. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत गतिविधियों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति की क्षमता में पक्षकार से प्राप्त राशि का दुरुपयोग या गबन नहीं करेगा;

झ. किसी भी गैर-एजेंट को पेटेंट कार्यालय के समक्ष किसी भी चरण में उपस्थित होने या कोई कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

ञ. पेटेंट कार्यालय के किसी अधिकारी के साथ सांठगांठ करके या किसी अन्य माध्यम से कार्यालय द्वारा दायर/लंबित या प्रदत्त किसी लंबित कार्यवाही या अधिकार के संबंध में निर्णय या परिणाम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे मामलों के संबंध में पेटेंट कार्यालय के किसी भी अधिकारी के साथ निजी अनौपचारिक पत्राचार पूर्णतया वर्जित है।

ट. पेटेट प्रदान करने या अस्वीकार करने के संबंध में कोई भी झूठा वादा या आश्वासन नहीं देगा, और न ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेटेंट कार्यालय के अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव डालने में सक्षम होने का दावा करेगा।

ठ. झूठे, भ्रामक या गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी करना, या ग्राहकों से अनुचित प्रलोभन देना या अपनी विशेषज्ञता का अतिशयोक्तिपूर्ण या असत्य दावा करना, जिसमें पेटेंट अनुदान की सफलता दर या गारंटी के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण दावे शामिल हैं, शामिल हैं नहीं करेगा। उनका संचार सत्य, सटीक और पेशे की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया नियम, जिसमें नियम 36 (समय-समय पर संशोधित) भी शामिल है, जो विज्ञापनों और प्रलोभनों पर लागू होता है, एजेंट पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।

ड. अपने संपर्क को बनाए रखने के लिए पक्षकारों को उनके आविष्कारों पर पेटेंट प्राप्त होने की क्षमता, इसमें शामिल प्रक्रियात्मक चरणों या संभावित परिणामों के बारे में गुमराह नहीं करेगा।

ढ. पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में आवेदक के ज्ञान की कमी का लाभ उठाने सहित पेटेंट होने की समय सीमा को बढ़ा-चढ़ाकर बताने, कानूनी आवश्यकताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, या उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त न करने पर प्रतिकूल परिणामों का अनुचित डर पैदा करने जैसे किसी भी गलत तरीके का उपयोग करने या किसी भी तरीके से आवेदकों को अनुचित रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;

ण. अपने पक्षकारों को गुमराह करने या पेटेंट प्रदान करने जैसे परिणामों का आश्वासन या गारंटी प्रदान करने सहित अनुचित, अनैतिक, या अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होगा;

त. किसी पक्षकार की फाइलों को अनुचित रूप से नहीं रोकेगा या उनके द्वारा अपना अभ्यावेदन वापस लेने का निदेश दिए जाने पर उन्हें उचित अवधि के भीतर उसे वापस करने में असफल भी नहीं होगा;

थ. भ्रामक विज्ञापन या ग्राहकों से अनुचित आग्रह या अपनी विशेषज्ञता के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर या असत्य दावा नहीं करेगा। उनकी संसूचना सत्य, सटीक और पेशे की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियम, जिनमें नियम 36 (समय-समय पर संशोधित) शामिल है, जो विज्ञापनों और आग्रह किए जाने पर लागू होता है, एजेंट पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।

द. पेटेंट अधिनियम, 1970 या पेटेंट नियम, 2019 के किसी प्रावधान या अपेक्षा का उल्लंघन या किसी भी तरीके से उनके प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा।

ग. निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा कोई भी एजेंट बिना तर्कसंगत और उचित कारण के पेटेंट आवेदन संबंधी कार्य से पीछे नहीं हटेगा:

क. निर्धारित अवधि के भीतर पेशेवर शुल्क का भुगतान न करने पर, या

ख. यदि वह अपने पक्षकार से निदेश प्राप्त करने या पक्षकार का पता लगाने में असमर्थ हो; बशर्ते एजेंट अपनी ओर से किए गए उचित प्रयासों को दर्शाने में सक्षम हो; या

ग. एजेंट इस कार्य से सेवानिवृत्त होना चाहता हो; या

घ. उसके प्रति पक्षकार का आचरण अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण हो।

बशर्ते कि अपनी सेवाएं वापस लेने से पहले पक्षकार को कम से कम 30 दिन पहले लिखित में नोटिस दिया जाएगा;

2. पेटेंट कार्यालय के प्रति एजेंट के कर्तव्य. -

1. प्रत्येक एजेंट को पेटेंट कानूनों से संबंधित नवीनतम संशोधनों, नियमों और विनियमों से पूरी तरह अवगत होना चाहिए। कोई भी एजेंट कानून या उसकी व्याख्या के बारे में अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकता।

2. एजेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि दायर किए गए सभी दाखिल दस्तावेज़, आवेदन और पत्राचार आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक मानकों को पूरा करते हों। पेटेंट कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात सटीक, पूर्ण और समय पर प्रस्तुत किए जाएं।

3. पेटेट एजेंट किसी भी रूप में ऐसा कोई दस्तावेज़, पत्राचार या विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, जिसमें कोई वास्तविक रूप से गलत या भ्रामक विवरण हो; या जिसमें लापरवाही से प्रस्तुत किए गए विवरण या जानकारी शामिल हो; या ऐसी किसी भी जानकारी को छोड़ दे या अस्पष्ट रखे जिसे शामिल करना आवश्यक हो और जहां ऐसी चूक या अस्पष्टता भ्रामक हो सकती है;

बशर्ते कि यदि झूठे/भ्रामक विवरण के बारे में पता चलने पर संसूचना, विवरण या दस्तावेज़ में विधिवत सुधार कर दिया जाता है तो पेटेंट एजेंट के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

4. कोई भी एजेंट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा जिसमें घूस लेना, पद का दुरुपयोग या सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग शामिल है, लेकिन इन निषिद्ध कार्यों की सूची यहीं तक सीमित नहीं है;

5. प्रत्येक एजेंट किसी भी कार्यवाही में पेटेंट कार्यालय के समक्ष पेशेवर तरीके से आचरण करेगा। कोई भी एजेंट किसी भी कार्यवाही में या पेटेंट कार्यालय के किसी भी अधिकारी के साथ संवाद करते समय आपत्तिजनक, अपमानजनक, असभ्य, अभद्र हावभाव या अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेगा;

6. कोई भी एजेंट पेटेंट कार्यालय के किसी अधिकारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया को इस प्रकार प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा जिससे एजेंट या उसके पक्षकार को अनुकूल परिणाम प्राप्त हो।

7. कोई भी एजेंट किसी प्रतिकूल निर्णय के प्रत्युत्तर में उच्च प्राधिकारियों से संपर्क करने या न्यायालय में अपील दायर करने की धमकी देकर पेटेंट कार्यालय के किसी भी अधिकारी को प्रभावित करने या धमकाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार बाहुबल का प्रयोग, गैर-पेशेवर और नैतिक आचरण के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जा सकता है।

3. साथी पेशेवरों के प्रति कर्तव्य:

एक एजेंट को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: -

क. अपने साथी पेशेवरों के साथ शिष्टाचार और सम्मान पूर्वक पेश आना चाहिए।

ख. अन्य पेटेंट एजेंटों के कार्य के बारे में अपमानजनक संदर्भ या निराधार तुलना नहीं करनी चाहिए।

ग. अनुचित प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहिए या अनैतिक तरीकों या प्रथाओं के माध्यम से ग्राहकों को अन्य एजेंटों से दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

घ. अपनी पेशेवर सेवाओं या अपने नाम का उपयोग किसी भी अनधिकृत कानूनी कार्य को बढ़ावा देने या शुरू करने के लिए नहीं करने देना चाहिए।"

[फा.सं. पी-24038/1/2025-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 02 मई, 2003 के सां. आ. 493 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 21 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

G.S.R. 814 (E)— The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi- 110011 or by e-mail at ipr-patents@gov.in

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. In the Patent Rules 2003 (hereinafter referred to as the Principal Rule), after Rule 2(ca), following shall be inserted namely: -

"- 2(cb). "Code of Conduct" means the Code of Conduct which may be published from time to time by the Controller in the Sixth Sechdule of Patent Rule 2003.

-2(cc). "Disciplinary Committee" means a committee constituted as per Rule 119D."

2. In Principal Rule, after Rule 2(d), following shall be inserted namely: -

"2(da). "Officer" for the purposes of Rule 119C means an Officer who is authorized by the Controller under Section 73(3) of the Patents Act, 1970."

3. In Principal Rule, after Rule 119, following shall be inserted namely: -

"**119A.- Misconduct by a Patent Agent:** (1) Every patent agent appearing and acting before the Controller and/or any other officer appointed as per the provision of Section 73 of the Patents Act 1970 (39 of 1970), shall abide by and follow the code of conduct.

(2) The Controller may publish updates pertaining to Code of Conduct in the Official Journal.

(3) The patent agent shall be liable to be guilty of misconduct, if he/she acts in contravention to the prescribed Code of Conduct as mentioned in the Sixth Schedule."

4. In Principal Rule, after Rule 119B, following shall be inserted namely: -

"**119B. Complaint of Misconduct to Controller:** (1) Any aggrieved person may, file a complaint in Form-34 through electronic means to the Controller within six months from the date of knowledge of such misconduct mentioned under The Sixth Schedule of the said rule.

5. In Principal Rule, after Rule 119B, following shall be inserted namely: -

"**119C. Procedure to deal with complaint received under Rule 119B:** (1) Upon receipt of complaint under rule 119B, Controller shall, refer the complaint to Disciplinary Committee to consider the matter. After considering the recommendation of the Disciplinary Committee, if the Controller is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice accompanied by the complaint requiring such agent to file reply along with supporting evidence and documents within one month from receipt of the notice.

Provided that, if Disciplinary Committee found no merit in the complaint, shall submit a report to that effect to the Controller and recommend the dismissal of the complaint.

(2). Upon receipt of the reply from such agent, Controller shall, refer the reply to Disciplinary Committee for adjudication of the matter. If no reply is received as directed under 119C(1), Controller shall direct Disciplinary Committee to adjudicate the matter ex-parte, considering evidence on the record. After considering the recommendation of the Disciplinary Committee, Controller shall pass appropriate order in writing.

(3). The Controller may, on his own motion, direct the Disciplinary Committee to initiate proceedings against any Patent agent, if, on the basis of sufficient evidence, he is of the opinion that an inquiry is warranted.

(4). The Disciplinary Committee may conduct its proceedings, either physical, virtual or hybrid mode as the Presiding Officer may deem appropriate.

(5). The Disciplinary Committee may allow further representation from the parties as the Presiding Officer may deem appropriate.

(6). If such Patent Agent with reliable and verifiable evidence submits that he has acted in good faith, or has exercised reasonable due diligence in his actions, he may not be deemed to be guilty of professional misconduct.

(7). In case where, the patent agent or the complainant fails, neglects or refuses to appear before the Disciplinary Committee on the date fixed for hearing, the Committee shall proceed with its inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(8). The Disciplinary Committee may recommend, at any stage to terminate or drop disciplinary proceedings for just and sufficient cause recorded in writing to the Controller, to take appropriate decision.

(9). The Disciplinary Committee shall complete the proceeding within three months from the date of commencement of inquiry by Disciplinary Committee for adjudication of matter.

6. In Principal Rule, after Rule 119C, following shall be inserted namely: -

"**119D. Constitution of Disciplinary Committee:** (1) The Controller shall constitute a Disciplinary Committee for the purpose of Rule 119C consisting of the following:

a. Presiding officer, who is not below the rank of a Joint Controller.

b. Two Senior officials, who are not below the rank of Deputy Controller.

c. Two Practicing Agents before Patent Office, who at least have twenty years of active work experience before Patent Office.

Provided that no members of disciplinary committee shall have any conflict of interest with subject matter and any party to the proceeding.

Provided further that Controller may constitute one or more Disciplinary Committee deemed necessary."

7. In Principal Rule, after Rule 119D, following shall be inserted namely: -

"**119E. Officer and other staff of Disciplinary Committee constituted under 119D:** (1) The Controller shall assign such officers and other staff members as may be necessary for assisting the Disciplinary Committee for the purpose of administration of the Code of Conduct."

8. In Principal Rule, after Rule 119E, following shall be inserted namely: -

"**119F. Order and Penalties.** – (1). The Controller, upon consideration of the recommendation from the Disciplinary Committee, may pass necessary orders or directions including warning/censure or removal of such patent agent from Register of Patent Agents under sub-clause (ii) of sub-section (1) of Section 130 of the Act.

(2). Every order under these rules, shall be dated, digitally signed, communicated to all the parties, and also uploaded on the official website of Intellectual Property India."

9. In Principal Rule, after Rule 119F, following shall be inserted namely: -

"**119G. Confidentiality of Proceedings.** – The proceedings before the officer authorized by the Controller and the Disciplinary Committee shall be kept strictly confidential, and records shall not be open to public."

10. In Principal Rule, after Rule 119G, following shall be inserted namely: -

"**119H. Communication under Rule 119B, 119C, 119F, 119I.-** All Communications under Rule 119B, 119C, 119F and 119I shall be transmitted through electronic means only. In proving such transmission, it shall be sufficient to show that the communication was properly addressed and transmitted through electronic means.

11. In Principal Rule, after Rule 119H, following shall be inserted namely: -

119I. Extension of Time in Disciplinary Proceeding: The Controller or the Disciplinary Committee may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period up to one month, upon petition made under Rule 138 and payment of prescribed fee.

12. In Principal Rule, in SECOND SCHEDULE, under heading FORMS after "Form No.33", and the entries related thereto, following shall be inserted namely: -

"—34	Section130(1) (ii), Rule 119B	COMPLAINT FOR MISCONDUCT BY PATENT AGENT UNDER RULE 119B

13. In Principal Rule, in SECOND SCHEDULE, after Form 33, following forms shall be inserted, namely:

<table>
<tr><td colspan="2">“FORM 34
THE PATENTS ACT,1970 (39 OF 1970)
and
THE PATENTS RULES, 2003
COMPLAINT FOR MISCONDUCT BY PATENT AGENT UNDER RULE 119B
[See Section 130(1)(ii); Rule 119B]</td></tr>
<tr><td>1. Particulars of Complainant (mandatory): -
a. Name:
b. Address for service:
c. Contact No.:
d. Email (for service):</td><td></td></tr>
<tr><td>2.Of Complaint: -</td><td></td></tr>
<tr><td>a. Date, time, and instance of commission and knowledge of the alleged Misconduct by Patent Agent:</td><td></td></tr>
<tr><td>b. Complaint of misconduct by Patent Agent setting out all relevant material particulars:</td><td></td></tr>
<tr><td>c. Evidence in support of the Complaint:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">I/We ...., the Complainant herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.</td></tr>
<tr><td>3.Signature of the Complainant:</td><td>Signature………….</td></tr>
<tr><td>4. Name of the natural person who has signed:</td><td>(……………….)</td></tr>
<tr><td></td><td>To,
The Controller,
The Patent Office,
at ……………</td></tr>
<tr><td colspan="2">Note. -Strike out whichever is not applicable.”</td></tr>
</table>

14. In the Patent Rules 2003 (hereinafter referred to as the Principal Rule), after The Fifth Schedule following The Sixth Schedule, shall be inserted: -

“-THE SIXTH SCHEDULE

[See Rules 119A(3)]

The Code of Conduct Patent Agents, 2025

Patent Agents are directed to follow the said Code of Conduct stipulated as under:

1. Code of Conduct for Patent Agents:

Every Patent agent shall follow recognized standards of professional conduct and discharge their duties in the interest of the Patent applicant. In the discharge of such duties:

(a) issue a letter of engagement for each client, mentioning scope of service to ensure that the clients understand scope of work of Patent agent;

(b) shall act with reasonable care and due diligence and conduct its dealing with clients with utmost good faith and integrity at all times;

(c) must maintain knowledge and skills relevant to the provided Patent agent services.

(d) shall at all times ensure compliance with all applicable laws, regulations, orders and any other legal requirements.

(e) an agent shall not be engaged in any unethical practice, nor make, permit or cause to be made any misrepresentations or any false, misleading, ambiguous, inaccurate or fraudulent claim, warranty or statement.

(h) should appear in proceedings at all times only in presentable manner.

A. Patent agent shall: -

a) be fully responsible for all services rendered and shall maintain direct supervision over staffs, legal assistants, including clerks and paralegals to whom he may delegate certain tasks.

b) apply necessary expertise and discharge his duties with due diligence, skill and care and act as reliable advisor to his client.

c) make reasonable efforts to record deadlines arising from client's matters, maintain written record of communications with client, track the progress of matters entrusted to him by his client and timely report progress of client's matters to him;

d) provide copies of all reports/notices or letters/communications issued by the Patent office to his/her clients and assist the client in understanding and responding timely to the same;

e) maintain client confidentiality, and shall not disclose any confidential information of a client to any third party without the client's written consent and take appropriate steps to maintain the security of confidential document, except where required by a court of law or after the information becomes available in public domain;

f) act only on the instructions of his/her client and shall not act without such instructions or go beyond such instructions; actions taken in good faith and in the interests of a client for preservation of his intellectual property rights shall be exempted;

g) disclose any conflicts of interest at or before the commencement of any professional service/activity or at the earliest possible opportunity and have adequate arrangements for the management of conflicts of interest that may arise in future. Any personal interest that may impact the client's case must be fully disclosed in detail to the client.

h) use his best efforts to restrain and prevent his client from resorting to sharp or unfair practices or from doing anything which the Patent Agent himself ought not to do.

B. **No Agent shall: -**

a) behave in a discourteous manner with the proprietor and the Controller and other Patent officers.

b) not engage in any conduct, whether by act or omission, that knowingly obstructs or prejudices the proper implementation of Patent laws or prevailing administrative orders.

c) knowingly conceal facts before the Patent Office such as to derive undue advantage to himself or his client;

d) misrepresent or manipulate the identity of applicants in any Patent application, nor falsely identify himself/herself as the applicant.

e) falsely or in bad faith cause himself or member of his office, or his relatives or relatives of members of his office as applicant or inventor or opponent in any patent application or opposition for consideration or otherwise cause such acts;

f) fail or neglect to adhere to statutory timelines despite holding clear instructions from client,

g) provide forged or fabricated documents to a client or the Patent Office at any stage of prosecution of patent application;

h) misappropriate or embezzle the sums received from a client in fiduciary capacity for performance of activities under the Patents Act 1970 (39 of 1970) or the Rules made thereunder;

i) permit any non-Agent to appear or conduct any proceeding at a stage thereof before the Patent Office;

j) directly or indirectly influence the decision or outcome of a pending proceeding or right filed/pending or granted by the Office either by colluding with any official of the Patent Office or through any other means. Private unofficial communications with any official of the Patent Office, concerning such matters are strictly prohibited.

k) make false promises or assurances regarding the grant or refusal of Patent, nor claim, directly or indirectly, to possess undue influence over officials of the Patent Office;

l) engage in issuing false, deceptive, or misleading advertisements, or improper solicitation of clients or make exaggerated or untruthful claims of the expertise they possess, including exaggerated claims about success rates or guarantees of patent grants. Their communications must be truthful, accurate, and in keeping with the dignity of the profession. The Rule framed by the Bar Council of India, including Rule 36 (as amended from time to time) thereof that applies to advertisements and solicitation shall also apply *mutatis mutandis* to an Agent.

m) mislead clients about the patentability of their inventions, the procedural steps involved, or the potential outcomes to secure their engagement

n) use any coercive method or in any manner trying to unduly influence applicants such as by exaggerating deadlines, misrepresenting legal requirements, or creating undue fear of adverse consequences to appoint them as their representative, including by exploiting an applicant's lack of knowledge about Patent procedures;

o) mislead his clients or engage in improper, unethical, or illegal activities including providing assurance or guarantees of outcomes such as grant of a Patent;

p) withhold files of a client unreasonably or fail to return the files within a reasonable period upon being directed to withdraw his representation;

q) engage in misleading advertising or improper solicitation of clients or make exaggerated or untruthful claims of the expertise they possess. Their communications must be truthful, accurate, and in keeping with the dignity of the profession. The Rule framed by the Bar Council of India, including Rule 36 (as amended from time to time) thereof that applies to advertisements and solicitation shall also apply *mutatis mutandis* to an Agent.

r) contravene or in any way act in contravention to any provision or expectation stated in the Patents Act 1970 and the Patents Rules 2019.

C. No Agent shall withdraw from a patent application without just and reasonable cause, except:-

a) for non-payment of professional charges within a stipulated period, or

b) if he is unable to obtain instructions from his client or locate the client; provided the Agent is able to show exercise of reasonable due diligence on his part; or

c) the Agent seeks to retire from practice; or

d) the client's conduct is dishonorable or in bad faith.

Provided that the withdrawal would be preceded by a notice in writing of not less than 30 days to the client;

2. Agent's duties towards the Patent Office. -

(1) Every Agent must be fully updated with the latest amendments, rules and regulations concerning Patent laws. No Agent can plead ignorance of law or its interpretation.

(2) An Agent must ensure that all filings, applications, and correspondences meet the required legal and procedural standards. Documents submitted to the Patent Office should be accurate, complete, and timely submitted.

(3) A Patent Agent shall not submit any document, issue communication or statement in any form that contains a materially false or misleading statement; or contains statements or information furnished negligently; or omits or obscures any information required to be included where such omission or obscurity would be misleading;

Provided that no action shall be taken against the Patent Agent if the communication, statement or document is duly rectified upon learning of the false/misleading statement.

(4) An Agent shall not do or commit any act prohibited under the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988, including but not limited to bribery, cause misuse of office, or misappropriation of public resources;

(5) Every Agent shall conduct himself in a professional manner before the Patent office in any proceeding. No Agent shall use objectionable, abusive, derogatory, indecent gesture or obscene language in any proceedings or otherwise while communicating with any official of the Patent Office;

(6) No Agent shall attempt to influence the decision-making process of an official of the Patent Office so as to result in favorable outcome to the Agent or his client.

(7) No agent shall attempt to influence or intimidate any official of the Patent Office by threatening to approach higher authorities or file an appeal in Court of Law, in response to an unfavorable decision, as such behavior may be deemed coercive, unprofessional, and against the principles of ethical conduct.

3. DUTIES TOWARDS FELLOW PROFESSIONALS:

An Agent must: -

a) treat their fellow professionals with courtesy and respect.

b) not make disparaging references or unsubstantiated comparisons to the work of other agents.

c) not engage in unfair competition or attempt to lure or entice clients away from other agents through unethical means or practices.

d) not permit his professional services or his name to be used for promoting or starting any unauthorised practice of law.”

[F.No. P-24038/1/2025-IPR-III]

HIMANI PANDE, Additional Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended vide notification number G.S.R. 646(E) dated the 21st September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.11.07 16:08:43 +05'30'